In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR-V

T.S–135/2018

सुरेन्द्र सिंह बनाम सुरेश सिंह वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
14.10.2025	उभयपक्ष की हाजिरी है। वादी की ओर से दिनांक–11.09.2025 को शपथ पत्र से समर्थित एक आवेदन आदेश–01 नियम–10 वो धारा–151 सी0पी0सी0 अंतर्गत दाखिल किया गया है। आवेदन में यह तथ्य वर्णित है कि वाद वादी द्वारा बंटवारा हेतु लाया गया है। जब सर्वे का काम चालू हुआ तो वादी द्वारा अपने जमीन का सारा कागजाता इकट्ठा किया गया तो पता चला कि जिस भूमि पर वादी द्वारा बंटवारा संबंधी वाद लाया गया है। उसी जमीन मौजा–आयर, अंचल–जगदीशपुर, खाता नं0–1149, खेसरा नं0–6141, रकबा–18.25 डी0 है। जो शिशिर कुमार पिता–स्व0 अनिल कुमार सिंह, ग्राम–पो0+थाना–आयर द्वारा मंजू देवी पति–राममूर्ति सिंह ग्राम+पो0+थाना–आयर में हाथो दस्तावेज सं0–8324 दिनांक–03.12.2018 से जमीन बिक्री किया गया है, जैसे ही इस बात का पता चला वादी द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस से नकल निकाला गया है और पार्टी बनने का सवाल न्यायालय में दिया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आपत्ति नहीं है, आवेदन पर दर्ज किया है। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद मनमुदई का हिस्सा नाप जोखकर जमीमा नं0–1 वो 2 अरजीदावी में बकदर 1/5 का एक अलग तख्ता कायम करवा दिया जाय, के लिये दाखिल किया गया है। वादी के आवेदन के अनुसार शिशिर कुमार पिता–स्व0 अनिल कुमार सिंह, ग्राम–पो0 +थाना–आयर द्वारा मंजू देवी पति–राममूर्ति सिंह ग्राम+पो0+थाना–आयर में हाथो दस्तावेज सं0–8324 दिनांक–03.12.2018 से जमीन बिक्री किया गया है, जो वादग्रस्त एराजी है तथा क्रेता प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार हैं। अतः वादी का आवेदन दिनांक–11.09.2025 स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मंजू देवी का नाम प्रतिवादी के कॉलम में क्रमवार जोड़ें। वास्ते दिनांक–18.12.2025 प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	